BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 30 नवम्बर 2022

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के 03 आरोपिंयों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 02-02 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1-बालकिशन 2-राकेश पुत्रगण ऐदल निवासीगण ग्राम महेपा जांगीर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर व 3- रमेश उर्फ कालू पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम शोभापुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ द्वारा वर्ष-2013 में घर में घुसकर लाठी डंडो से सतीश पुत्र प्रथी के साथ मारपीट करना व उठाकर जंगल में ले जाकर जहरीला पदार्थ खिलाना आदि घटना कारित की गयी थी जिससे सतीश की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-189/2013 धारा- 452/323/328/363/304 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.11.22 को मा0 न्यायालय, एडीजे-12 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्तगण बालकिशन, राकेश व रमेश को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर